प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 भू.रा. अधि. बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया — प्रार्थी
2. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19/01/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 भू.रा.अधि. प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि – चक 4 एनएसडब्लयू–ए के खाता सं. 30 के प.नं. 50/343 की कुल 1.621 हैक. कमाण्ड अ.क. म.गै. मु. खाला की ऑनलाईन नक्शा मे तरमीम सही करने बाबत प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि –यह कि प्रार्थीया के दादा सुखराम पुत्र हनुमान के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्लयू–ए के खाता सं. 30 के प.नं. 50/343 के किला न. 1/2, 2/1, 3/3, 4/1, 5/3, 10/2, 11/2, 20/3, 20/4, 21/3, 21/4 की कुल 1.621 हैक. कमाण्ड अ.क. म.गै.मु. खाला मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीया के दादा सुखराम ने अपनी प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे से प.नं. 50/343 के किला नं. 1/2/.057, 10/2/.114, 11/2/.114, 20/3/.1015, 20/4/.0125, 21/3/.0885, 21/4/.0125 कुल 0.500 हैक. बैजानिव पूर्वी दिशा बरूवे दस्तावेज दान पत्र दिनांक 05.06.2024 को प्रार्थीया के पक्ष में करके दस्तावेज दान पत्र उप पंजीयक पीलीबंगा से पंजीयन करवाया गया।

यह कि प्रार्थीया ने उक्त दस्तावेज का नामान्तरण राजस्व अभिलेख मे दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का पीलीबंगा गांव को दिया तो पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल का नामान्तरण ऑनलाईन करते समय उक्त वर्णित रकबा की तरमीम सही होने के कारण से प्रार्थीया को दान मे प्राप्त रकबा का नामान्तरण राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही हो सका, इसलिए प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे 0.500 हैक. प्राप्त रकबा की तरमीम सही किया जाकर प्रार्थीया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:19:48 IST
Reason: SelfAttested

के दस्तावेज दान पत्र का नामान्तरण राजस्व अभिलेख मे किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एनएसडब्लयू–ए के खाता सं. 30 के प.नं. 50/343 के के किला नं. 1/2/.057, 10/2/.114, 11/2/.114, 20/3/.1015, 20/4/.0125, 21/3/.0885, 21/4/.0125 0.500 हैक. बैजानिव पूर्वी दिशा की तरमीम ऑनलाईन नक्शा मे सही किये जाने की दुरूस्ती राजस्व अभिलेख मे किये जाने के आदेश तहसीलदार पीलीबंगा को प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया **तहसीलदार पीलीबंगा को वास्ते रिपोर्ट** पत्र जारी किया गया तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 813 दिनांक 27.10.25 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट – चक 4 एन. एस. डब्लयू – ए के ऑनलाईन खाता सं. 30 प. नं. 50/343 मु.नं. 17 किला नं. 1/2/.228, 2/1/.127, 3/3/.127, 4/1/.126, 5/3/.114, 5/4/.013(गै.मु.खाला), 10/2/.228, 11/2/.228, 20/3/.203, 20/4/.025 (गै०मु० खाला), 21/3/.177, 21/4/.025 कुल 1.621 हैक. क.अ.क. मय खाला सुखराम पुत्र हनुमान जाति जाट सा. पीलीबंगा खतोदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाते मे ना. सं. 169 /18.10.2024 दान प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान मे ऑनलाईन प.नं. 50/343 मु.नं. 17 के किला नं. 20 के तीन खसरे है – 20/1/.025, 20/3/.203, 20/4/.025 दर्ज रिकॉर्ड है। भू नक्शा पोर्टल पर कि.नं. 20/3 व 20/4 मे आनुपातिक अंतर है जिसकी चित्रप्रति संलग्न रिपोर्ट है। आनुपातिक अंतर होने के कारण नामा. सं. 169 प्रक्रियाधीन की तरमीम किला नं. 20/3 व 20/4 मे किया जाना उचित नही होगा। पूर्व मे हुई तरमीम को शुद्ध किये जाने के उपरान्त किला नं. 20/3 व 20/4 मे मुताबिक दान पत्र सही तरमीम की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय 151 सीपीसी प्रस्तुत होने पर बाद स्वीकार अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम को पक्षकार संयोजित किया गया है। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की ओर से निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 स्वीकार है। मिन अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 4 एनएसडब्लयू–ए के प.नं. 50/343 के किला नं. 1/2/.057, 10/2/.114, 11/2/.114, 20/3/.1015, 20/4/.0125, 21/3/.0885, 21/4/.0125 कुल 0.500 है. बैजानिव पूर्वी दिशा बरूवे दस्तावेज दान पत्र दिनांक 05.06.2024 को प्रार्थीया के पक्ष मे करके दस्तावेज दान पत्र उप पंजीयक पीलीबंगा से पंजीयन करवाया गया था और कब्जा भूमि का उसी रोज सुपुर्द कर दिया गया था ।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 स्वीकार है । प.नं. 50/343 के किला नं. 20 की तरमीम सही किये जाने से प्रार्थीया के पक्ष मे निष्पादित दान पत्र का नामान्तरण दर्ज किया जा सकता है। अतः प्रार्थी के नाम वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 50/343 के किला नं. 20 की तरमीम सही की जाती है तो अप्रार्थी पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थ[illegible] स्वीकार [illegible] है तो मिन अप्रार्थी पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:19:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

बहस अधिवकता उभय पक्ष सुनी गइ बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम शुद्धी हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर–चक 4 एन.एस.डब्लयू–ए के ऑनलाईन खाता सं. 30 प.नं.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

50/343 मु.नं. 17 किला नं. 20/3 व 20/4 मे तरमीम नक्शा में अनुपात अनुसार दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 19/01/26 सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:19:48 IST
Reason: SelfAttested